

भारत सरकार  
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  
पशुपालन और डेयरी विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2266  
दिनांक 14 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

**डेयरी उत्पादों का विपणन**

**2266. श्रीमती अपरूपा पोद्दार:**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में व्यक्तिगत और संकुल दोनों क्षमताओं पर डेयरी और संबद्ध सेवाओं को विकसित करने के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;
- (ख) डेयरी कृषि की स्थापना और विकास के लिए उद्यमियों को दी जा रही वित्तीय सहायता और केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
- (ग) वर्ष 2017 से डेयरी कृषि और उत्पाद विकास के लिए दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देश में निर्यात सहित डेयरी उत्पादों का उत्पादन और विपणन करने वाले संगठनों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री  
(श्री परशोत्तम रूपाला)**

(क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग डेयरी फार्मिंग स्थापित और विकसित करने के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं/घटकों को लागू कर रहा है: (i) राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हब और स्पोक मॉडल पर अधिमानतः देशी नस्लों के नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना को बढ़ावा दिया जाता है। इस घटक के तहत पात्र उद्यमियों (व्यक्तिगत/एसएचजी/एफसीओ/एफपीओ/जेएलजी और धारा 8 कंपनियां) के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध है। नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना के तहत सहायता प्राप्त उद्यमी पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत भी ब्याज सबवेंशन के लिए पात्र हैं। अब तक, डीएएचडी द्वारा सब्सिडी के लिए 49 आवेदन और 97.34 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है। प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या और संस्वीकृत सब्सिडी की राशि अनुबंध-1 में दी गई है; (ii) डेयरी उद्यमिता विकास योजना (मार्च 2020 से बंद) में डेयरी पशुओं को शामिल करने पर सामान्य श्रेणी के

लाभार्थियों को 25% बैक एंडेड सब्सिडी और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लाभार्थियों को 33.33% बैक एंडेड सब्सिडी प्रदान की गई। योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2017 से डेयरी फार्मिंग और उत्पाद विकास के लिए राज्यों को उपलब्ध कराई गई राज्यवार और वर्षवार वित्तीय सहायता अनुबंध-III, IV और V में दी गई है

(घ) देश में डेयरी उत्पादों का उत्पादन और विपणन करने वाले संगठनों का विवरण अनुबंध-VI में दिया गया है। संगठन-वार निर्यात विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं; हालांकि, वाणिज्य विभाग के पोर्टल पर व्यापार आंकड़ों की जानकारी के अनुसार, डेयरी उत्पादों का वर्षवार निर्यात निम्नानुसार है:

कमोडिटी (एचएस कोड)	निर्यात की गई मात्रा (एमटी में)				
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (दिस.)
दूध और क्रीम (0401)	10,183.40	13,818.60	11,309.58	12,097.50	10,921.04
दूध पाउडर (0402)	47,986.96	3,758.47	16,855.97	49,681.96	17,585.40
किण्वित और अम्लीकृत दूध उत्पाद (0403)	809.29	994.78	1,107.50	1,450.20	1,128.50
मट्ठा और मट्ठा उत्पाद (0404)	916.56	311.6	224.06	158.53	301.41
मक्खन/घी/बटर ऑयल (0405)	46,137.92	25,263.18	16,971.61	37,674.34	18,059.74
पनीर और दही (0406)	7,691.29	7,323.82	8,458.60	7,648.69	6,914.77
कैसीन, केसीनेट्स और अन्य कैसीन डेरीवेटिव्स; कैसीन ग्लूज़ (3501)	5,638.75	164.4	3,401.65	8,768.48	6,312.57
<b>कुल</b>	<b>119,364.17</b>	<b>51,634.85</b>	<b>58,328.97</b>	<b>117,479.70</b>	<b>61,223.43</b>

अनुबंध-1

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना हेतु अनुमोदित प्रस्तावों एवं सब्सिडियों का विवरण

राज्य	अनुमोदित बीएमएफ प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित अनुदान (करोड़ रुपये में)
आंध्र प्रदेश	8	16
बिहार	1	2
गुजरात	9	17.73
महाराष्ट्र	12	24
मध्य प्रदेश	1	2
तेलंगाना	5	10
हरियाणा	1	2
कर्नाटक	5	10
केरल	2	4
तमिलनाडु	3	5.62
उत्तर प्रदेश	2	4
<b>कुल</b>	<b>49</b>	<b>97.35</b>

अनुबंध -II

वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान डीईडीएस के तहत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या और नाबार्ड द्वारा संवितरित बैक-एंडेड सब्सिडी का विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी सब्सिडी राशि						
1	अंडमान और निकोबार	23	3.50	8	2.00	0	0.00	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	11534	4575.96	2660	1810.28	2288	1496.26	932	641.04
3	अरुणाचल प्रदेश	71	138.20	2	4.00	57	96.25	35	46.41
4	असम	1348	1153.90	703	521.43	759	674.22	446	467.54
5	बिहार	1248	487.63	671	313.86	294	183.57	657	280.56
6	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.47
7	छत्तीसगढ़	114	44.87	59	38.81	19	35.26	31	33.83
8	दमन और दीव	1	1.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	गोवा	0	0.00	1	0.88	2	0.88	7	5.44
10	गुजरात	5924	3080.62	1200	1890.60	627	2237.24	2071	1190.84
11	हरियाणा	308	244.75	574	401.15	162	155.07	399	317.77
12	हिमाचल प्रदेश	637	649.63	284	266.34	239	242.92	142	122.83
13	जम्मू और कश्मीर	723	448.77	1042	621.98	696	371.06	1586	841.68
14	झारखंड	140	101.18	327	336.82	150	186.36	236	221.81
15	कर्नाटक	2069	1095.04	2759	1219.47	2037	893.22	2299	928.41
16	केरल	2168	1167.58	723	380.96	763	369.99	295	222.17
17	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	4	1.86	0	0.00
18	मध्य प्रदेश	1484	819.70	2214	1032.05	872	625.14	769	839.29
19	महाराष्ट्र	6056	3125.96	3826	1804.78	2332	1390.07	1222	597.45
20	मणिपुर	115	46.12	206	97.79	229	122.65	74	67.00
21	मेघालय	18	10.60	3	3.63	0	0.00	25	19.88
22	मिजोरम	182	106.23	163	116.94	18	24.11	74	60.34
23	नागालैंड	334	149.80	158	116.85	88	94.43	43	60.58
24	ओडिशा	970	383.61	848	364.45	748	323.51	894	389.25
25	पुद्दुचेरी	0	0.00	99	16.46	76	14.16	118	21.43
26	पंजाब	1678	1111.16	1876	1149.11	2065	1120.29	777	443.04
27	राजस्थान	4378	2188.76	4322	2725.74	2546	1535.93	1943	1367.98
28	सिक्किम	416	266.59	26	25.39	23	32.84	138	104.92
29	तमिलनाडु	7877	1727.78	3563	1042.92	3865	1011.23	2084	548.51
30	तेलंगाना	4962	2438.35	1311	1005.55	1240	948.75	428	498.56

क्र. सं.	राज्य का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी सब्सिडी राशि						
31	त्रिपुरा	433	290.91	181	109.86	118	74.58	194	103.75
32	उत्तराखंड	2280	1145.86	1264	696.79	638	388.11	649	318.00
33	उत्तर प्रदेश	3710	1884.35	6983	4309.21	4862	2923.63	3660	2333.72
34	पश्चिम बंगाल	293	176.32	786	544.11	901	760.11	831	689.46
	<b>कुल:</b>	<b>61494</b>	<b>29065.23</b>	<b>38842</b>	<b>22970.21</b>	<b>28718</b>	<b>18333.68</b>	<b>23060</b>	<b>13783.94</b>

नोट-डीईडीएस योजना को 01 अप्रैल 2020 से बंद कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में जारी की गई राशि वर्ष 2019-20 के दावों की संस्वीकृति से संबंधित हैं।

अनुबंध-III

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जारी राज्यवार और वर्षवार निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल जारी
<b>राज्य</b>								
1	आंध्र प्रदेश	437.45	1899.81	439.74	3181.38	5652.385	1546.00	13156.76
2	अरुणाचल प्रदेश	200.00	14.75	544.70	1240.80	397.08	0.00	2397.33
3	असम	0.00	4896.10	0.00	0.00	227.97	0.00	5124.07
4	बिहार	4489.95	4850.83	1230.95	7401.08	1048.14	2087.25	21108.20
5	छत्तीसगढ़	100.00	2640.42	1019.78	101.25	841.65	402.00	5105.10
6	गोवा	0.00	2.84	97.72			0.00	100.56
7	गुजरात	0.00	2080.10	942.88	101.25	2735.3111	0.00	5859.54
8	हरियाणा	317.22	2505.14	205.44	96.39	305.44	430.53	3860.16
9	हिमाचल प्रदेश	687.00	1729.46	519.42	484.25	5586.58	0.00	9006.71
10	जम्मू और कश्मीर	196.75	1744.97	791.99	81.00	1533.93	1099.39	5448.03
11	झारखंड	157.73	3287.36	540.46	101.25	2244.52503	0.00	6331.33
12	कर्नाटक	857.00	164.38	756.47	101.25	1996.46	0.00	3875.56
13	केरल	136.00	2662.29	301.03	313.00	314	1047.40	4773.72
14	मध्य प्रदेश	1618.48	2852.32	2155.86	2113.44	6024.96297	2442.00	17207.06
15	महाराष्ट्र	300.00	3314.57	1479.71	202.50	0.00	0.00	5296.78
16	मणिपुर	200.00	547.60	730.74	500.64	294.98002	166.69	2440.65
17	मेघालय	0.00	1025.53	0.00	2039.22	738.21	0.00	3802.96
18	मिजोरम	0.00	201.72	0.00	268.28	154.11	43.72	667.83
19	नागालैंड	558.29	484.75	0.00	372.06	494.70003	108.07	2017.87
20	ओडिशा	0.00	2483.71	1090.33	0.00	3480.42478	1374.25	8428.71
21	पंजाब	500.00	902.18	2849.33	714.13		0.00	4965.64
22	राजस्थान	1654.00	396.07	1386.15	405.00	2254.77	0.00	6095.99
23	सिक्किम	925.91	56.07	677.98	0.00	268.78	39.95	1968.69
24	तमिलनाडु	1200.23	2613.83	536.08	2168.38	2663	3347.00	12528.52
25	तेलंगाना	801.45	2628.91	2522.60	202.50	2439.76	0.00	8595.22
26	त्रिपुरा	0.00	473.45	1066.58	0.00	2524.16995	0.00	4064.20
27	उत्तर प्रदेश	2000.00	3171.14	3334.94	1012.50	2941.36	7671.25	20131.19
28	उत्तराखंड	0.00	5007.18	508.77	3023.45	2115.44	1885.75	12540.59
29	पश्चिम बंगाल	1426.29	468.92	1026.06	202.50	1213.37112	2037.35	6374.49
	कुल	18763.75	55106.40	26755.71	26427.49	50491.51	25728.60	203273.46
<b>संघ राज्य क्षेत्र</b>								
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	309.90
2	चंडीगढ़	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
3	दादरा और नगर हवेली	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38

4	दमन और दीव	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
5	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	लद्दाख				105.00	0.00	0.00	105.00
7	लक्षद्वीप	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
8	पुद्दुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	144.44	0.00	144.44
	कुल	0.00	315.60	0.00	105.00	144.44	0.00	565.04
अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वीर्य उत्पादन केंद्र और एनडीडीबी								
1	एनडीडीबी		14258.20	0.00	11618.89	12042.9	8893.76	46813.74
2	आईसीएआर- एनबीएजीआर		890.11	218.04	1700.00	794.36	0.00	3602.51
3	सीएफएसपी एंड टीआई		3105.00	0.00	0.00		612.00	3717.00
4	डॉ आरपी सीएयू, बिहार		1352.00	0.00	0.00	2028.00	0.00	3380.00
5	गोपशु परियोजना निदेशालय (आईसीएआर)					675.8	0.00	675.80
6	जीसीएमएमएफ						1753.95	1753.95
7	गुजरात अमर डेयरी						118.87	118.87
8	आईसीएआर- सीआईआरबी						263.79	263.79
9	कामधेनु विश्वविद्यालय अमरेली, गुजरात						350.00	350.00
10	जबलपुर विश्वविद्यालय						112.08	112.08
11	एनडीआरआई						479.34	479.34
12	पंजाब (मिल्कफेड)						232.00	232.00
13	आरसीडीएफ						250.00	250.00
14	केएमएफ						241.73	241.73
5	अन्य		16.29	0.00	139.34		190.87	346.50
	कुल		19621.60	218.04	13458.23	15541.06	13498.38	62337.30
	कुल योग	18763.75	75043.60	26973.75	39990.71	66177.01	39226.98	266175.80

अनुबंध-IV

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक एनपीडीडी योजना के तहत राज्यवार जारी निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
1	आंध्र प्रदेश	621.56	70.66	878.97	0.00	671.79	3335.23
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	511.19	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	3566.59	3793.47	1971.65	9966.15	275.30	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	464.88	250.95	0.00	0.00
6	गोवा	791.50	0.00	42.50	0.00	39.81	0.00
7	गुजरात	1090.53	4325.53	573.60	446.95	13693.19	0.00
8	हरियाणा	651.30	161.99	616.10	0.00	502.69	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	49.98	1262.91	655.93	61.55	1214.33	564.62
10	जम्मू और कश्मीर	100.00	1539.35	672.13	949.52	7418.56	0.00
11	झारखंड	0.00	0.00	410.78	0.00	0.00	410.79
12	कर्नाटक	260.00	1011.00	2018.00	3564.00	3566.49	3631.28
13	केरल	543.77	2381.24	3096.60	705.38	2569.78	48.23
14	मध्य प्रदेश	358.83	2085.27	1503.33	1013.48	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	0.00	184.12	1314.88	1693.29	0.00	0.00
16	मणिपुर	297.54	51.09	575.76	514.62	901.89	0.00
17	मेघालय	386.59	427.77	628.10	821.98	810.91	1088.20
18	मिजोरम	310.30	0.00	700.45	20.38	0.00	0.00
19	नागालैंड	111.95	0.00	349.80	16.78	200.00	0.00
20	ओडिशा	0.00	839.71	804.88	292.50	747.12	137.86
21	पुद्दुचेरी	240.15	0.00	42.50	0.00	39.47	0.00
22	पंजाब	1089.11	368.83	1311.75	612.50	3590.67	143.53
23	राजस्थान	1899.84	4290.27	2439.70	1750.22	2931.78	904.51
24	सिक्किम	593.61	0.00	394.10	1047.25	637.20	263.85
25	तमिलनाडु	1193.30	759.62	1314.04	3859.76	259.63	2844.22
26	तेलंगाना	275.85	0.00	957.09	919.75	0.00	0.00
27	त्रिपुरा	0.00	1337.14	5.60	78.99	0.00	0.00
28	उत्तर प्रदेश	1231.91	2096.03	501.64	0.00	0.00	0.00
29	उत्तराखंड	1179.88	0.00	1674.07	0.00	147.94	24.32
30	पश्चिम बंगाल	189.90	0.00	101.79	0.00	71.47	0.00
	<b>कुल योग</b>	<b>17033.98</b>	<b>26986.00</b>	<b>26616.80</b>	<b>28586.00</b>	<b>40290.00</b>	<b>13396.64</b>

\* दिनांक 10.03.2023 तक

अनुबंध-V

डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना (दिसंबर, 2017) के बाद से दूध प्रशीतन/प्रसंस्करण के निर्माण/सुदृढीकरण/आधुनिकीकरण और मूल्यवर्धित उत्पादों के विनिर्माण के लिए दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण:

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	(करोड़ रुपये में)		
			कुल परियोजना लागत	संस्वीकृत ऋण	संवितरित ऋण
<b>एनडीडीबी की परियोजनाएं</b>					
1	आंध्र प्रदेश	1	97.75	78.20	34.73
2	बिहार	1	113.27	78.80	18.81
3	गुजरात	3	1070.36	822.59	229.55
4	हरियाणा	2	22.78	18.22	0.71
5	कर्नाटक	10	2479.90	1344.83	760.16
6	केरल	1	15.25	12.20	5.42
7	महाराष्ट्र	1	319.08	155.26	131.03
8	पंजाब	4	318.41	249.77	180.51
9	राजस्थान	1	79.33	59.77	55.35
10	तेलंगाना	3	261.51	156.70	45.96
11	तमिलनाडु	4	379.30	303.43	0.00
	<b>कुल</b>	<b>31</b>	<b>5156.94</b>	<b>3279.78</b>	<b>1462.22</b>
<b>एनसीडीसी की परियोजनाएं</b>					
1	तमिलनाडु	5	307.44	245.96	0.00
2	मध्य प्रदेश	1	80.15	50.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>6</b>	<b>387.59</b>	<b>295.96</b>	<b>0.00</b>
<b>कुल योग</b>		<b>37</b>	<b>5544.53</b>	<b>3575.74</b>	<b>1462.22</b>

दूध और/या डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण और विपणन करने वाले दुग्ध उत्पादक संगठन

राज्य	दुग्ध उत्पादक संगठन (एमपीओ) (सं.)
आंध्र प्रदेश	10
असम	1
बिहार	12
छत्तीसगढ़	1
दिल्ली	2
गोवा	1
गुजरात	13
हरियाणा	6
हिमाचल प्रदेश	3
जम्मू और कश्मीर	2
झारखंड	4
कर्नाटक	16
केरल	3
मध्य प्रदेश	8
महाराष्ट्र	22
मणिपुर	1
मेघालय	1
मिजोरम	1
नागालैंड	1
ओडिशा	13
पांडिचेरी	1
पंजाब	12
राजस्थान	29
सिक्किम	1
तमिलनाडु	28
तेलंगाना	5
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	25
उत्तराखंड	13
पश्चिम बंगाल	7
कुल योग	243
<p>स्रोत: दुग्ध संघ/परिसंघ/उत्पादक कंपनियां  नोट: एमपीओ में मिल्क संघ, डेयरी, परिसंघ और उत्पादक कंपनी शामिल हैं।</p>	